

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462002

क्रमांक
प्रति,

/19/यो/2011-12

भोपाल, दिनांक 25.04.2011

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के प्रभावी नियन्त्रण, निगरानी एवं कुशल प्रबंधन हेतु।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में बड़े वित्तीय आकार के भवन, सड़क तथा पुलों के कार्य निष्पादित हो रहे हैं। कार्यों के प्रभावी-नियन्त्रण, निगरानी एवं कुशल प्रबंधन हेतु यह आवश्यक हो गया है कि अधीनस्थ मैदानी अधिकारियों के अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियन्ता भी कार्यों का सतत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करें। अतः प्रस्तावित है कि अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यों का सतत निरीक्षण निम्न तालिका अनुसार राग्य सीमा में किया जावे।

क.	कार्य की लागत	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पदनाम	न्यूनतम आवृत्ति	निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने की तिथि
1	1.00 करोड से 3.00 करोड तक	अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियन्ता	माह में एक बार दो माह में एक बार	अगले माह की 10 तारीख तक
2	3 करोड से अधिक राशि के कार्य	अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियन्ता	माह में दो बार माह में न्यूनतम एक बार	निरीक्षण माह से अगले माह की 10 तारीख तक

उपरोक्त तालिका अनुसार कार्यों के निरीक्षण उपरान्त प्रतिवेदन जारी करना सुनिश्चित करें।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से -
तथा आदेशानुसार

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव,

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 25.04.2011

26.

पू.क्रमांक 2002/19/यो/2011-12
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण भोपाल।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग

अपर सचिव, 25/4/2011

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय भोपाल